

# झारखण्ड उच्च न्यायालय राँची में

डब्ल्यू०पी० (एस) संख्या ३३९९ वर्ष २०१२

सविता कुमारी

.... .... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य, द्वारा मुख्य सचिव, परियोजना भवन, डाकघर एवं थाना—धुर्वा, जिला—राँची
2. उपायुक्त, पलामू डाल्टनगंज, डाकघर एवं थाना—डाल्टनगंज, जिला—पलामू डाल्टनगंज
3. जिला समाज कल्याण अधिकारी, पलामू डाल्टनगंज, डाकघर एवं थाना—डाल्टनगंज, जिला—पलामू डाल्टनगंज
4. बाल विकास परियोजना अधिकारी, चैनपुर, डाकघर एवं थाना—चैनपुर, जिला—पलामू डाल्टनगंज

.... .... उत्तरदातागण

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री दीपक रोशन

याचिकाकर्ता के लिए:

श्री ए०के० सहानी, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए:

श्री जे०एफ० टोप्पो, एस०सी०—VII

०६ / ०२.०८.२०२१ वी०सी० के माध्यम से सुना।

2. इस रिट आवेदन द्वारा निवेदन किया गया है कि याचिकाकर्ता, चयन समिति की सिफारिश की पुष्टि करने के लिए प्रतिवादी अधिकारियों पर एक निर्देश के लिए प्रार्थना कर रहा है, जिसके तहत याचिकाकर्ता को छोटेहंस केंद्र के लिए “आंगनबाड़ी सेविका” के पद के लिए चुना गया है।

3. श्री ए०के० सहानी, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस रिट आवेदन का निपटारा प्रतिवादी अधिकारियों को याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने का निर्देश देकर किया जा सकता है क्योंकि आज तक कोई जवाबी हलफनामा दायर नहीं किया गया है।

4. श्री जे०एफ० टोप्पो, प्रतिवादी राज्य के लिए विद्वान एस०सी०— VII ने निवेदन किया है कि चूंकि मामला बहुत पुराना है और यहां तक कि काउंटर भी दायर नहीं किया गया है क्योंकि ऐसा कोई निर्देश नहीं था, इस प्रकार इस मामले को याचिकाकर्ता को प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष एक नया प्रतिनिधित्व दायर करने का निर्देश देकर निपटाया जा सकता है।

5. पक्षकारों के लिए विद्वान अधिवक्ता के सीमित प्रस्तुतीकरण के मद्देनजर और चूंकि इस मामले में कोई जवाबी हलफनामा दायर नहीं किया गया है, न्याय का हित पर्याप्त होगा यदि याचिकाकर्ता को आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपनी शिकायत को उठाते हुए एक नया प्रतिनिधित्व दायर करने की स्वतंत्रता दिया जाय।

यदि प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष ऐसा कोई प्रतिनिधित्व दायर किया जाता है, तो इस तरह के प्रतिनिधित्व की प्राप्ति की तारीख से चार महीने की अवधि के भीतर राज्य सरकार के कानून, नियमों, विनियमों और लागू अधिसूचनाओं के अनुसार विचार किया जाएगा।

6. पूर्वोक्त अवलोकन और निर्देश के साथ, तत्काल रिट आवेदन का निपटान किया जाता है।

(दीपक रोशन, न्याया०)